न्यायालय अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर
पीठासीन अधिकारी सुरेन्द्र सिंह पुराहित (आर.ए.एस.)

राजस्व अपील सं. :– 187/2025

जीसीएमएस नम्बर :– 2025/616

अपीलार्थीगण :–

1. बाबूराम पुत्र मुकनाराम
2. आदूराम पुत्र मुकनाराम
3. गुमानाराम पुत्र श्रीनाथराम
4. भंवराराम पुत्र पोकरराम
5. विरमाराम पुत्र पोकरराम
6. मालाराम पुत्र पोकरराम
7. उगमाराम पुत्र मुकनाराम
8. राजुराम पुत्र मुकनाराम
9. श्रवणराम पुत्र भाकरराम
10. कानाराम पुत्र मंगलाराम
11. उदाराम पुत्र मंगलाराम
12. अमराराम पुत्र घेवरराम
13. सायरराम पुत्र घेवरराम
14. मोहनराम पुत्र घेवरराम
15. सुखाराम पुत्र घेवरराम

जातियान् राईका निवासीगण–ग्राम रामपुरा भाटियान तहसील तिंवरी जिला जोधपुर

प्रत्यर्थी :–

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार तिंवरी जिला जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध आदेश दिनांक 17 अक्टूबर 2016 जो आदेश क्रमाक राजस्व/समर्पण/2016/2668 में श्री तहसीलदार तिंवरी द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :–

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

राजस्व अपील संख्या 187/2025
जीसीएमएस नम्बर 2025/616

1. श्री रोशनलाल, अधिवक्ता अपीलार्थीगण।
2. श्री दिनेश जोशी, राजकीय अधिवक्ता प्रत्यर्थी

— : : निर्णय : : — दिनांक : 01/9/25

अपीलार्थीगण द्वारा हस्तगत अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 225 के तहत अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार तिंवरी द्वारा समर्पण आदेश क्रमांक राजस्व/समर्पण/2016/2668 दिनांक 17 अक्टूबर 2016 के विरूद्व पेश की गयी। अपील के तथ्य सक्षेंप में इस प्रकार से है कि अपीलार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 55 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत किया कि खातेदार भंवराराम वगैरह की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नं. 470, 441 वाके ग्राम रामपुरा भाटीयान, तहसील तिंवरी जिला जोधपुर में आई हुई है, जिसमें से खसरा नं0 470 में से 5 बिस्वा — 5 बिस्वा कुल 10 बिस्वा तथा खसरा नं0 441 में से रकबा 13 बिस्वा — 2 बिस्वा कुल 15 बिस्वा भूमि राज्य सरकार के पक्ष में निःशुल्क समर्पण कर दिया जो भूमि नक्शे में लाल स्याही अनुसार मौके पर छोड़ दी गई है। प्रार्थना पत्र के साथ में पटवारी हल्का द्वारा तैयार नक्शा प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रार्थनापत्र पर तहसीलदार द्वारा दिनांक 17—10—2016 को विवादित भूमि में से 1 बीघा व 5 बिस्वा का समर्पण किया जाना स्वीकार किया गया तथा इसी अनुसार राजस्व नक्शे में दर्शाये अनुसार राज्य सरकार के हक में अमल दरामद किये जाने का आदेश प्रदान किया गया। खसरा नम्बर 470/ मे से 5 बिस्वा भूमि का समर्पण जो राजस्व नक्शे में अंकन किया गया है। भूलवश/टंकणीय त्रुटिवश अंकित कर दिया गया, जबकि मौके पर उस स्थान पर मन्दिर आया हुआ है। वर्तमान में खसरा नम्बर 470/ में पारित आदेश से नया खसरा नं0 470/11 का अंकन हुआ जो राज्य सरकार के नाम से दर्ज कर दिया गया, जिससे व्यथीत होकर अपीलांट्स की ओर से हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा विचारण न्यायालय से मूल समर्पणनामा को तलब किया गया। तत्पश्चात उभय के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट्स ने अपनी बहस में अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट्स की ओर से खसरा नं0 470 में से 5 बिस्वा भूमि का समर्पण किये जाने पर नये खसरा नं0 470/11 का अंकन हुआ है, जहां पर मौके पर लोकदेवता पाबूजी महाराज का पुराना मन्दिर आया हुआ है तथा मंदिर चारो से चारदीवारी से आबद्ध है। अपीलांट्स द्वारा त्रुटिवश, लिपिकीय भूलवश व मानवीय भूल के आधार पर उक्त भूमि का समर्पण कर दिया गया है। अपीलार्थीगण

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

को उक्त त्रुटि की जानकारी होने पर तहसीलदार से सम्पर्क किया, जिस पर उनके द्वारा कहा गया कि अपील के द्वारा ही सर्मपणनामा में संशोधन करवाया जा सकता है। इस कारण अपीलांट्स द्वारा हस्तगत अपील तैयार करवाकर प्रस्तुत की गई है। समर्पणनामा स्वीकृत करते वक्त तहसीलदार द्वारा भी मौके की जांच नहीं की गई थी, जिस कारण भी समर्पणनामा नियमानुसार नही होने के कारण संशोधित/निरस्त किये जाने योग्य है। सर्मपणनामा तैयार करते वक्त तथा आदेश पारित करते वक्त धारा 55 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों की पालना किये बगैर ही आलौच्य आदेश पारित किया गया है। जिस भूमि का समर्पण करना बताया गया है, वहां पर लोकदेवता पाबूजी महाराज का मन्दिर बना होने तथा मंदिर के कब्जे की होने के कारण उस भूमि का कब्जा तहसीलदार को सुपुर्द नही किया जा सकता था। इस कारण भी आलोच्य आदेश अपास्त किये जाने योग्य है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम पर अपीलांट्स के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि पूर्व में अपीलांट्स को मंदिर की भूमि भूलवश समर्पित होने की जानकारी नहीं थी। वर्तमान में नजरी नक्शे अनुसार राजस्व रेकर्ड में तरमीम की जाने पर मौके पर विवाद उत्पन्न हो गया तथा जहां लोकदेवता पाबूजी महाराज का मन्दिर मौजूद है, उस जगह राजस्व रेकर्ड मे रास्ते की तरमीम हो गई, जिस कारण पक्षकारान के मध्य वाद विवाद बढ गया। जिस पर अपीलार्थीगण को मिली विधिक राय के अनुसार समर्पण की नकल दिनांक 21–2–2025 को प्राप्त की गई तथा दिनांक 20.3.2025 को जोधपुर आये तथा अधिवक्ता नियुक्त कर यह अपील अन्दर म्याद प्रस्तुत की गई है। अपीलांट्स की ओर से जानबूझकर देरी नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में विलंब का सद्भाविक कारण होने से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। अन्त में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे एवं अपील अपीलांट्स अंदर म्याद शुमार की जाकर गुणावगुण पर स्वीकार फरमायी जावे एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 17–10–2016 को आंशिक रूप से निरस्त किया जाकर खसरा नं0 470/ रकबा 5 बिस्वा जिसके नवीन खसरा नं0 470/11 है, के समर्पण को निरस्त किया जावे। प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने विधिनुरूप निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। जहां तक अपीलांट्स द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब का प्रश्न है, मामले के गुणावगुण पर निस्तारण हेतु म्याद के तकनीकी बिंदु पर नरम रूख अपनाते हुए न्याय हित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

परिसीमा अधिनियम स्वीकार किया जाता है एवं अपील अपीलांट्स अंदर म्याद शुमार की जाती है। गुणावगुण प्रस्तुत अभिलेख समर्पणनामा दिनांक 17.10.2016, सलंग्न नजरी नक्शा के मुताबिक अपीलांट्स द्वारा अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु रास्ते के उद्धेश्य से अपीलाधीन भूमि समर्पित की गई है जो सलंग्न नजरी नक्शें में रास्तानुमा अंकित है। अपीलांट्स का कथन है कि खसरा नंबर 470/ वर्तमान खसरा नंबर 470/11 की भूमि का मानवीय भूल एवं लिपिकीय त्रुटि से समर्पणनामा निष्पादित हुआ है, जबकि मौके पर लोकदेवता पाबूजी महाराज का मंदिर बना हुआ है। अपीलांट्स के उक्त कथनों की पुष्टि अपील पत्रावली पर मौजूद तहसीलदार तिंवरी के पत्र क्रमांकः राजस्व/2024/721 दिनांक 01.07.2024 से होती है, जो पत्र उपखण्ड अधिकारी औसियां को प्रेषित किया गया है। उक्त पत्र में तहसीलदार तिंवरी द्वारा 470/ ;वर्तमान खसरा नंबर 470/11 रकबा 05 बिस्वाद्ध की भूमि लोक देवता पाबूजी महाराज का मंदिर बना होने तथा उक्त भूमि चारदीवारी से आबद्ध होकर मौके पर पानी का हौद व शौचालय बने होने का तथ्य अंकित किया गया है। ऐसी स्थिति में खसरा नंबर 470/11 की भूमि मौके पर खाली न होने तथा रास्ते के रूप में काम में न आने से उक्त खसरा की हद तक हस्तगत अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत नहीं होने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरता है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आलोक में प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य पाये जाने से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार तिंवरी द्वारा समर्पण आदेश क्रमांक राजस्व/समर्पण/2016/2668 दिनांक 17 अक्टूबर 2016 को खसरा नंबर 470/ ;वर्तमान खसरा नंबर 470/11 रकबा 05 बिस्वा के संबंध में अपास्त किया जाता है तथा उक्त भूमि पुनः अपीलांट्स के नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिया जाता है। मूल अभिलेख आदेश की प्रति के साथ तहसीलदार जोधपुर को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(सुरेन्द्र सिंह पुरोहित)
अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
अपर जिला कलक्टर,
(द्वितीय) जोधपुर

निर्णय आज दिनांक 01/9/25 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(सुरेन्द्र सिंह पुरोहित)
अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
अपर जिला कलक्टर,
(द्वितीय) जोधपुर